झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका – 2841/2022

विजय कुमार, उम्र लगभग 62 वर्ष, पिता - स्वर्गीय सत्य नारायण राम, निवासी - फ्लैट नंबर 201, बैदनाथ सुंदरी भवन, डाकघर - जी.पी.ओ.-रांची, थाना - लोअर बाजार, रांची, कांटाटोली, रांची, पिन कोड 834001 ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. भारत संघ सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन, जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन, डाकघर-जोरबाग, थाना-अलीगंज, नई दिल्ली - 110003

2. झारखंड राज्य मुख्य सचिव, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर+थाना-धुर्वा, जिला-रांची।

3. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नेपाल हाउस, डाकघर+थाना-डोरंडा, जिला रांची-834002

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), वन भवन, डाकघर+थाना - डोरंडा, जिला-रांची-834002 ..... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री भानु कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से : श्री इंद्रनील भादुड़ी, एस.सी-IV

श्रीमती बक्शी विभा, अधिवक्ता

सी.ए.वी./ आरक्षित 04.01.2024 **घोषित 30/01/2024**

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के अनुसार:

1. वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है, जिसके तहत विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.02.2022 को ओ.ए. संख्या 379/2020 में पारित आदेश के तहत रिट याचिकाकर्ता के मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार करने के दावे को इस

आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि रिट याचिकाकर्ता मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अपना अधिकार साबित नहीं कर पाया है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता द्वारा पद पर रिक्तियों की उपलब्धता या उसकी सेवानिवृत्ति से पहले उसके किसी कनिष्ठ को पद पर पदोन्नत करने के कारण उसके संवैधानिक/कानूनी अधिकारों के किसी उल्लंघन के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है।

2. रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिन्हें यहां सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, निम्नानुसार हैं:

उपरोक्त रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार यह स्वीकार किया गया मामला है कि रिट याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय सेवा, यानी भारतीय वन सेवा में शामिल किया गया था और उसे 2002 बैच आवंटित किया गया था। वह वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक के पद के लिए पात्र हो गया।

रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 18.11.2002 को एक दिशा-निर्देश जारी किया गया था, जिसके अनुसार एक आईएफएस अधिकारी 13 वर्ष की सेवा के बाद चयन ग्रेड के लिए पात्र हो जाता है और 14 वर्ष की सेवा के बाद वन संरक्षक के पद पर तथा 18 वर्ष की सेवा के बाद मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है।

रिट याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा 24.05.2014 से सेवा में स्थायी किया गया था, लेकिन पात्रता शर्तों को पूरा करने के बावजूद उन्हें चयन ग्रेड या पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि उनके कुछ कनिष्ठों को चयन ग्रेड दिया गया और उन्हें मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत भी किया गया। उनके एक कनिष्ठ, अर्थात् श्री एस.आर. नटेश, जो झारखंड कैडर में 2003 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, का नाम 06.12.2016 से संदर्भित करके दिया गया है और 27.02.2018 से वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति न देने के प्राधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रिट याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राहत की मांग करते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया था।

प्रतिवादी-झारखंड राज्य ने लिखित बयान दायर किया था और रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई इस तरह की राहत का विरोध किया था, इस आधार पर कि पदोन्नति एक मौलिक अधिकार नहीं है और रिट याचिकाकर्ता को चयन ग्रेड नहीं दिया गया था क्योंकि उसे भारत सरकार द्वारा 08.11.2019 को ही पुष्टि की गई थी। इसके अलावा आधार यह लिया गया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चयन ग्रेड और उच्च रैंक पर पदोन्नति इन ग्रेडों में रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन थी।

विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों पर ध्यान देने के बाद, रिट याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रार्थना को अनुमति दे दी है, जहां तक यह वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति से संबंधित है, जो रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपने एक कनिष्ठ अर्थात् श्री एस. आर. नटेश को पदोन्नति प्रदान करने के आधार पर ली गई है, साथ ही संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिया गया है कि वह रिट याचिकाकर्ता को 01.01.2016 के बाद रिक्तियों की उपलब्धता की तारीख से वन संरक्षक के पद पर विचार करे और पदोन्नत करे। इसके अलावा, जहां तक मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे का संबंध है, इसे रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे मुख्य वन संरक्षक के पद पर सेवा की अवधि के रूप में एक आवश्यक शर्त माना गया है। न्यायाधिकरण ने पाया है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता ने 01.01.2020 तक 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता द्वारा पद के लिए रिक्तियों की उपलब्धता या उसके संवैधानिक/कानूनी अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है।

3. रिट याचिकाकर्ता ने आदेश के उस भाग को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है, जिसके तहत मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के दावे को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि इस पद पर रिक्तियों की उपलब्धता का खुलासा नहीं किया गया है और इस प्रकार, इसे उक्त दावे को अस्वीकार करने का आधार माना गया है।

4. यह तर्क दिया गया है कि रिक्तियों की उपलब्धता नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात झारखंड राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, जिसे रिक्तियों की उपलब्धता के बारे में खुलासा करना था, लेकिन उपरोक्त तथ्य पर विचार किए बिना, मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता मुख्य वन संरक्षक के पद पर रिक्तियों की उपलब्धता प्रदान करने में विफल रहा है।

5. आधार यह लिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पात्र हो गया है, जो उसने 01.01.2020 को पूरी कर ली है, ऐसे में न्यायाधिकरण को राज्य से इस तथ्य के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए कहना चाहिए था कि उस तिथि को रिक्ति उपलब्ध थी या नहीं, लेकिन ऐसा न करके न्यायाधिकरण ने उपरोक्त दावे को अस्वीकार करके घोर अवैधता की है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे यह आधार लिया कि ऐसा नहीं है कि राज्य की ओर से रिक्तियों की अनुपलब्धता का कभी दावा किया गया है, यदि ऐसा होता तो मामला अलग होता, लेकिन चूंकि मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति देने के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है, इसलिए राज्य पर रिक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डाली गई है, इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7. राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए भी दलील दी गई है, जिसमें 01.01.2020 तक रिक्तियों की उपलब्धता के तथ्य को स्वीकार किया गया है, जिनकी संख्या 07 (सात) थी और इसलिए, राज्य प्राधिकरण का यह बाध्य कर्तव्य था कि वह विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाए ताकि रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जा सके क्योंकि रिट याचिकाकर्ता ने मुख्य वन संरक्षक के पद को धारण करने के योग्य बनने के लिए पहले ही 18 साल की सेवा पूरी कर ली थी।

8. इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.04.1989 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए आधार लिया गया है, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के

लिए विशिष्ट नीतिगत निर्णय लिया गया है, ताकि मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, ताकि सेवा के किसी भी सदस्य को पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने से वंचित न किया जा सके और विभाग को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दी जा सके, लेकिन राज्य ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया, जबकि रिक्तियां थीं और इस बीच, रिट याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया और अब राज्य द्वारा हलफनामा दायर करके आधार लिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उक्त पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है।

9. यह तर्क दिया गया है कि यदि रिट याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है और इस बीच विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाना राज्य की ओर से घोर लापरवाही है और उपरोक्त आचरण से रिट याचिकाकर्ता के मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया गया है।

10. यह तर्क दिया गया है कि यदि राज्य की ओर से कोई लापरवाही हुई है, तो वह मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने में आड़े नहीं आ सकती, भले ही रिट याचिकाकर्ता इस बीच सेवानिवृत्त हो चुका हो। यह भी आधार लिया गया है कि मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति का लाभ देने से केवल इसलिए इनकार करना कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा रिक्तियों का खुलासा नहीं किया गया था, उक्त दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि रिक्तियों की उपलब्धता के बारे में न्यायालय को अवगत भी नहीं कराया गया है, तो यह राज्य की ओर से लापरवाही है, जिस पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में विचार करने के बजाय रिट याचिकाकर्ता पर दायित्व डालते हुए उसके खिलाफ विचार किया गया है, कि वह रिक्तियों की उपलब्धता का खुलासा करने में विफल रहा है, जबकि इस न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में, रिक्तियां कुल 07 थीं और यदि ऐसी परिस्थितियों में रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया है,

जबकि वह 01.01.2020 से पात्र हो गया है, तो यह राज्य की ओर से घोर लापरवाही है और इसके लिए रिट याचिकाकर्ता को अनुमति नहीं दी जा सकती है। भले ही वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो, उसे कष्ट सहना पड़ रहा है।

11. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर दलील दी है कि 14.02.2022 के आदेश का वह भाग, जिसके तहत मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति देने के रिट याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार किया गया है, कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

12. इसके विपरीत, प्रतिवादी-झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एस.सी-IV श्री इंद्रनील भादुड़ी ने निम्नलिखित आधारों पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है:

I. पूर्वव्यापी पदोन्नति देने के किसी प्रावधान के अभाव में, रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पदोन्नति नहीं दी जा सकती।

II. ऐसा नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया है, बल्कि रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्वयं विचार किया गया है, जो रिट याचिका के अनुलग्नक-9 के रूप में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.09.2016 पर आधारित है, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता के मामले पर पृष्ठ-48 पर उपलब्ध नियम 3 के नोट-1 के अंतर्गत निर्धारित शर्त के आलोक में विचार किया गया, जिसके अनुसार वह गैर-कार्यात्मक आधार पर विचार किए जाने का हकदार हो गया और उस परिस्थिति में, उसके मामले पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के पक्ष में पदोन्नति प्रदान किए जाने के आलोक में विचार किया जाना है और उस पर विचार करते समय, रिट याचिकाकर्ता का मामला संधारणीय नहीं पाया गया है, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता से वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद पदोन्नति प्रदान की गई है और ऐसे में, रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह कहना गलत है कि रिट याचिकाकर्ता के मामले पर मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति देने के लिए विचार नहीं किया गया है।

III. आधार यह लिया गया है कि यदि विभागीय पदोन्नति समिति ने बैठक नहीं बुलाई है तो इस आधार पर रिट याचिकाकर्ता को पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाना पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति का दावा करने का आधार नहीं हो सकता।

13. विद्वान अधिवक्ता ने **बैज नाथ शर्मा बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं अन्य, 1988 एससीसी (एलएंडसी) 1754** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के इन आधारों को प्रमाणित करने के लिए सहायता ली है।

14. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर दलील दी है कि आरोपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, इसलिए रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना उचित है।

15. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथा इस न्यायालय के समक्ष दायर संबंधित पक्षों की दलीलों का भी अवलोकन किया है।

16. यह न्यायालय, पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा विशेष रूप से विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए अपनाए गए आधार के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष की सराहना करते हुए, जो कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा रिक्तियों की उपलब्धता के बारे में खुलासा न करना तथा उन कनिष्ठों के नामों का खुलासा न करना है जिन्हें उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, का विचार है कि जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है

I. क्या रिक्तियों का खुलासा संबंधित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है या यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है;

II. इस न्यायालय के समक्ष एक और प्रश्न है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं

बुलाई गई है, भले ही उस दिन रिक्तियां उपलब्ध थीं, जिस दिन रिट याचिकाकर्ता ने पदोन्नति के नियमों के अनुसार पात्रता प्राप्त की थी, जिसके अनुसार मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए 18 वर्ष की सेवा पूरी करना आवश्यक है;

III. क्या राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **बैज नाथ शर्मा बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं अन्य** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू होता है।

IV. क्या अधिसूचना दिनांक 28.09.2016 में अधिसूचित नियम का प्रावधान, जिसमें राज्य के अनुसार पदोन्नति के मामले पर विचार करने के लिए नोट-1 के अनुसार प्रावधान है, यह शर्त संबंधित अधिकारी पर लागू होगी जो गैर-कार्यात्मक आधार पर पदोन्नत होने पर विचार करके सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है।

17. चूंकि सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर एक साथ चर्चा की जा रही है और नीचे उनका उत्तर दिया गया है।

18. यहाँ स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता ने दो-तरफा प्रार्थनाओं के लिए विद्वान न्यायाधिकरण से संपर्क किया है:

I. वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति देने पर विचार हेतु;

II. मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करने पर विचार हेतु।

19. विद्वान न्यायाधिकरण ने वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के अनुदान के लिए विचार करने के संबंध में राहत प्रदान की है, साथ ही विशिष्ट अवधि के भीतर इस पर विचार करने का विशिष्ट निर्देश दिया है, लेकिन मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के अनुदान के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे को दो कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है:

I. रिट याचिकाकर्ता द्वारा रिक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है;

II. रिट याचिकाकर्ता ने अपने किसी भी कनिष्ठ का नाम उजागर करने में विफल रहा है, जिसे रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किए बिना पदोन्नति दी गई है।

20. यह न्यायालय, मुद्दों का उत्तर देने से पहले, विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा 28.09.2016 को अधिसूचित नियम पर भरोसा किए जाने को उचित और उचित समझता है, जिसमें गैर-कार्यात्मक आधार पर पदोन्नति प्रदान करने का प्रावधान है। त्वरित संदर्भ के लिए, इसे निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

> "जब भी किसी विशेष बैच के किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10, 11, 12 या स्तर 13, 14 पर केंद्र में तैनात किया जाता है, तो सेवा के सदस्य, जो ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से दो वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ हैं और अभी तक उस विशेष स्तर पर पदोन्नत नहीं हुए हैं, उन्हें उस विशेष स्तर पर केंद्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की तैनाती की तिथि से अपने संबंधित राज्य संवर्गों में गैर-कार्यात्मक आधार पर समान स्तर प्रदान किया जाएगा और सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो केंद्र में तैनात हैं, गैर-कार्यात्मक उन्नयन के अनुदान के समय, उनका मूल वेतन गैर-कार्यात्मक उन्नयन के स्तर के न्यूनतम के अधीन लागू मौजूदा स्तर में मौजूदा वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके तय किया जाएगा, और उन्हें उच्चतर स्तर पर वेतन नहीं दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो। ऐसे अधिकारियों को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केंद्र में जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, उसका वेतन मिलता रहेगा और साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि भत्ता (सीडीटीए) भी मिलेगा, जहां भी लागू हो।

21. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि जैसे ही रिट याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेता है, उसे ऊपर उद्धृत और संदर्भित नोट-1 के मद्देनजर गैर-कार्यात्मक आधार पर पदोन्नत कहा जाएगा।

22. हमने इसका अध्ययन किया है और पाया है कि इसमें यह प्रावधान है कि जब भी किसी विशेष बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10, 11, 12 अथवा स्तर 13, 14 पर केन्द्र में पदस्थापित किया जाता है तो सेवा के ऐसे सदस्य जो ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से दो वर्ष अथवा उससे अधिक वरिष्ठ हैं तथा अभी तक उस विशेष स्तर पर पदोन्नत नहीं हुए हैं, उन्हें केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की

उस विशेष स्तर पर पदस्थापना की तिथि से अपने-अपने राज्य संवर्गों में गैर-कार्यात्मक आधार पर समान स्तर प्रदान किया जाएगा तथा सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो केन्द्र में पदस्थापित हैं, गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किए जाने के समय उनका मूल वेतन लागू मौजूदा स्तर में मौजूदा वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके निर्धारित किया जाएगा, जो गैर-कार्यात्मक उन्नयन के स्तर के न्यूनतम के अधीन होगा तथा उन्हें उच्चतर स्तर पर वेतन प्रदान नहीं किया जाएगा, जैसा कि मामला हो। हो सकता है। ऐसे अधिकारियों को उस पद का वेतन मिलता रहेगा जिसके लिए उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केंद्र में नियुक्त किया गया है, साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि भत्ता (सीडीटीए), जहां भी लागू हो, मिलता रहेगा।

23. यह तर्क दिया गया है कि नोट-1 में निहित प्रावधान सेवानिवृत्त व्यक्ति पर भी लागू होता है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि इसमें इस तथ्य का प्रावधान है कि भारतीय वन सेवा के उन सदस्यों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए जो उक्त संवर्ग में पदस्थ हैं और जो केन्द्रीय संवर्ग में पदस्थ हैं।

24. नीतिगत निर्णय में राज्य संवर्ग के वन सेवा अधिकारियों और केन्द्रीय संवर्ग में पदस्थ उन अधिकारियों के मामले पर विचार करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है, जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान के भिन्न स्तर के सदस्यों की तुलना में गैर-कार्यात्मक आधार पर लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जो ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी से दो वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ हैं और अभी तक उस विशेष स्तर पर पदोन्नत नहीं हुए हैं, अर्थात यदि भारतीय वन सेवा का सदस्य, चाहे वह राज्य संवर्ग में पदस्थ हो या केन्द्रीय संवर्ग में, यद्यपि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य से वरिष्ठ पाया गया है, तो उन्हें संबंधित राज्य संवर्ग में गैर-कार्यात्मक आधार पर उस विशेष स्तर पर पदोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए तंत्र बनाया गया है।

25. इसके अलावा, यदि भारतीय वन सेवा के अधिकारी केन्द्रीय संवर्ग में पदस्थ हैं, तो उस स्थिति में, मूल वेतन से गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते समय विद्यमान वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके उसे निर्धारित किया जाएगा।

इसमें निहित शब्द "वेतन मैट्रिक्स", "वेतन निर्धारण" और "मौजूदा वेतन में वृद्धि" यह दर्शाता है कि यह संबंधित राज्य या केंद्र के वन सेवा संवर्ग के सदस्यों के पक्ष में दिए जाने वाले लाभ से संबंधित है।

यदि नोट-1 में निहित सम्पूर्ण प्रावधान की जांच की जाए तो हमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि यह वन सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू हो, इसलिए न्यायालय का यह मत है कि नोट-1 के साथ जो भी तर्क दिया गया है कि यह भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू है, उसका कोई आधार नहीं है।

26. अब आते हैं रिट याचिकाकर्ता के मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के अधिकार के बारे में प्रश्न पर, जिसे केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध रिक्तियों की संख्या लाने में विफल रहा है।

27. हमारे विचार के अनुसार, उपर्युक्त निष्कर्ष में त्रुटि है क्योंकि जब संवर्ग के सदस्य ने पदोन्नति के संबंध में राहत का दावा करते हुए निर्णायक निकाय से संपर्क किया है, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस आधार पर रिकॉर्ड पर लाए कि रिक्तियों की उपलब्धता के अभाव में उच्च पद पर पदोन्नति के लिए कोई विचार नहीं किया जा सकता है। चूंकि सेवा के सदस्यों के पास रिक्तियों की सटीक संख्या तक पहुंच नहीं है, इसलिए रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए इसे उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है, इसलिए विद्वान न्यायाधिकरण की ओर से यह आधार लेना गलत था कि रिट याचिकाकर्ता उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पेश करने में विफल रहा है।

28. इसके अलावा, जब राज्य ने विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष लिखित बयान दायर किया है, जिसमें रिक्तियों की अनुपलब्धता के संबंध में ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है और मामले के उस पहलू में, विद्वान न्यायाधिकरण का यह बाध्य कर्तव्य था कि वह रिक्तियों की उपलब्धता के संबंध में राज्य से रिपोर्ट मांगे ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि रिक्तियों की अनुपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति देने के लिए रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने का यह उपयुक्त मामला नहीं है।

29. विद्वान न्यायाधिकरण ने उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर विचार करने के बजाय, उक्त दावे को अस्वीकार करके रिट याचिकाकर्ता पर दायित्व डाला है, जो हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, उक्त दावे को अस्वीकार करने का उचित कारण नहीं कहा जा सकता है।

30. इसके अलावा, यह आधार लिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए दावा करने के उद्देश्य से कनिष्ठों का नाम बताने में विफल रहा है।

31. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि पदोन्नति प्रदान करना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इस पर विचार करना मौलिक अधिकार है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजय कुमार शुक्ला और अन्य बनाम अरविंद राय और अन्य, (2022) 12 एससीसी 579 में माना है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

> **"42.** अजीत सिंह (2) बनाम पंजाब राज्य [अजीत सिंह (2) बनाम पंजाब राज्य, **(1999) 7** एससीसी 209: 1999 एससीसी (एलएंडएस) 1239] में संविधान पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) पर जोर देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्रता और मानदंड को पूरा करता है, लेकिन फिर भी उसे पदोन्नति के लिए नहीं माना जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा। जगन्नाथ राव, जे. ने खुद और आनंद, सी.जे., वेंकटस्वामी, पटनायक, कुर्दुकर, जे.जे. के लिए बोलते हुए, पैरा 22 और 27 में निम्नानुसार समान टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 227-28)
>
> > "अनुच्छेद **14** और **16(1):** क्या पदोन्नति के लिए विचार किया जाना अधिकार एक मौलिक अधिकार है
> >
> > **22.** अनुच्छेद **14** और अनुच्छेद **16(1)** आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वे व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद **14** मांग करता है कि 'राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।' अनुच्छेद **16(1)** एक सकारात्मक आदेश जारी करता है कि:

'राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।'

इस न्यायालय द्वारा बार-बार माना गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और यह अनुच्छेद 14 से ही लिया गया है। उक्त खंड अनुच्छेद 14 में सामान्यता को विशिष्ट करता है और संवैधानिक अर्थ में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार और नियुक्ति के मामलों में "अवसर की समानता" की पहचान करता है। "रोजगार" शब्द व्यापक होने के कारण, इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह भर्ती के प्रारंभिक स्तर के चरण से ऊपर के पदों पर पदोन्नति के पहलू को अपने दायरे में लेता है। अनुच्छेद 16(1) प्रत्येक कर्मचारी को जो अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है या जो विचार के क्षेत्र में आता है, पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यहां समान अवसर का अर्थ है पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति पात्रता और क्षेत्र मानदंड को पूरा करता है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" के उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है।

समान अवसर और वरिष्ठता के आधार पर "पदोन्नति" ऐसी पदोन्नति से जुड़ी है जो अनुच्छेद 16(1) के तहत मौलिक अधिकार के पहलू हैं।

27. हमारी राय में, अशोक कुमार गुप्ता [अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1997) 5 एससीसी 201: 1997 एससीसी (एल& एस) 1299] में व्यक्त उपरोक्त दृष्टिकोण और जगदीश लाल [जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य, (1997) 6 एससीसी 538: 1997 एससीसी (एल&एस) **1550]** और अन्य मामलों में अनुसरण किया गया, यदि इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रासंगिक नियमों के अनुसार पदोन्नति के

लिए "विचार" किए जाने के लिए कर्मचारियों को गारंटीकृत अधिकार (यानी वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर) केवल एक वैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है, तो हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। हम पहले ही बता चुके हैं कि पदोन्नति के मामले में समान अवसर का अधिकार, पदोन्नति के लिए "विचार किए जाने" के अधिकार के अर्थ में, वास्तव में अनुच्छेद **16(1)** के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है और अशोक कुमार गुप्ता [अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1997) 5 एससीसी 201: 1997 एससीसी (एल**&**एस) 1299] से पहले किसी भी अन्य मामले में 1950 से इस पर कभी संदेह नहीं किया गया है।"

43. इस न्यायालय ने एच.एम. सिंह बनाम भारत संघ [एच.एम. सिंह बनाम भारत संघ**,** (2014) 3 एस.सी.सी. 670: (2014) 1 एस.सी.सी. (एल&एस.) 649] में पुनः कानूनी स्थिति को दोहराया है**,** अर्थात पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत निहित मौलिक अधिकार है। पैरा 28 से संबंधित उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 686)

> **"28.** विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता के दावे पर विचार न करने से उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद **14** और 16 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होगा, बशर्ते कि प्रतिवादी **1-1-2007** को उपलब्ध होने पर लेफ्टिनेंट जनरल के पद की रिक्ति को भरने के इच्छुक थे। प्रति-शपथपत्र में दर्शाई गई तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि प्रतिवादी वास्तव में उक्त रिक्ति को भरने के इच्छुक थे। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यदि अपीलकर्ता विचारणीय सबसे वरिष्ठ सेवारत मेजर जनरल था (जो निस्संदेह वह था), तो उसे निश्चित रूप से उपरोक्त रिक्ति के विरुद्ध विचार किए जाने का मौलिक अधिकार था, और यदि उसे उपयुक्त माना जाता तो पदोन्नत किए जाने का मौलिक अधिकार भी था। ऐसा न करने पर, वह भारत के संविधान के

> अनुच्छेद **14** द्वारा प्रदत्त कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाएगा। हमारा विचार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** के तहत निहित मौलिक अधिकार का लाभ बढ़ाने के लिए उसे दो अवसरों पर सेवा में विस्तार की अनुमति दी गई थी, सबसे पहले 29-2-2008 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उसके बाद 30-5-2008 के एक और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता को सेवा में उक्त विस्तार तीन महीने की अवधि के लिए (और एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए) या एसीसी की मंजूरी तक, जो भी पहले हो, दिया गया था। उपर्युक्त आदेशों के द्वारा, प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं, ताकि उसे लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति का सम्मान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके (यदि चयन बोर्ड द्वारा उसके पक्ष में की गई सिफारिश कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी, तो यह पुष्टि की जाती है)। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता को उचित विचार से वंचित करने में अधिकारियों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता। प्रतिवादियों द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई निस्संदेह मनमानी होगी।"

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त निर्णय में यह प्रस्ताव रखा है कि पदोन्नति के लिए विचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इस प्रकार, हमारा विचार है कि पदोन्नति के लिए विचार एक मौलिक अधिकार है, अतः संबंधित प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी तरह से निर्णय लेकर उस पर विचार करे।

33. इसके अलावा, यह दावा कि कनिष्ठ को पदोन्नति दी गई है या नहीं दी गई है, लागू नहीं होगा यदि पात्रता मानदंड के माध्यम से विचार के लिए कार्यकाल तय किया गया है, इसमें 18 वर्ष की सेवा को मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के लिए सेवा के सदस्य को पात्र बनाया गया है।

34. यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इस प्रकार, वह भर्ती/पदोन्नति के नियमों के अनुसार विचार के लिए पात्र हो गया है।

35. कानून की स्थापित स्थिति यह है कि जब कार्यकाल दिया गया है और यदि रिक्तियां उपलब्ध हैं तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाए ताकि पदोन्नति देने के लिए एक या दूसरे के मामले पर विचार किया जा सके।

36. यद्यपि यह निर्णय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.1989 को जारी कार्यालय ज्ञापन द्वारा लिया गया है, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली पर सहमति एवं समेकित निर्देश तथा डी.पी.सी. की सिफारिशों के प्रसंस्करण एवं कार्यान्वयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है, जो राज्य द्वारा स्वीकृत संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू है।

37. उपर्युक्त नीतिगत निर्णय से यह स्पष्ट है कि डीपीसी को नियमित वार्षिक अंतराल पर बुलाने का निर्णय लिया गया है ताकि पैनल तैयार किया जा सके जिसका उपयोग वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति करने में किया जा सके। इसमें यह भी स्पष्ट है कि डीपीसी की बैठक रिक्तियों की उपलब्धता से छह महीने पहले बुलाई जानी है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त दिशा-निर्देशों के खंड **3.1** और **3.2** को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

> **3.1** डीपीसी को नियमित वार्षिक अंतराल पर बुलाया जाना चाहिए ताकि पैनल तैयार किए जा सकें जिनका उपयोग वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति करने में किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए संबंधित नियुक्ति अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे पिछले पैनल की समाप्ति से पहले ही मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दें और डीपीसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जैसे सीआर, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, वरिष्ठता सूची आदि एकत्र करें। यदि आवश्यक हो तो डीपीसी हर साल एक निश्चित तिथि **1** अप्रैल या मई को बुलाई जा सकती है। मंत्रालयों/विभागों को अपने

नियंत्रण में डीपीसी आयोजित करने के लिए समय सारिणी निर्धारित करनी चाहिए और ऐसी समय सारिणी निर्धारित करने के बाद अपने किसी अधिकारी को विभिन्न कैडर प्राधिकरणों पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार बनाकर इसकी निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। डीपीसी बैठकों के आयोजन में इस आधार पर देरी या स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी पद के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा/संशोधन किया जा रहा है। रिक्ति को रिक्ति की तिथि पर लागू भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाएगा, जब तक कि बाद में बनाए गए नियमों को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया हो। चूंकि भर्ती नियमों में संशोधन सामान्यतः केवल भावी आवेदन के लिए होते हैं, इसलिए मौजूदा रिक्तियों को प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए।

3.2 डी.पी.सी. की वार्षिक बैठकें बुलाने की आवश्यकता को तभी समाप्त किया जाना चाहिए जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली कोई रिक्तियां नहीं हैं या संबंधित वर्ष के दौरान कोई अधिकारी स्थायी नहीं है।

38. इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त परिपत्र के अनुसरण में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियमित अंतराल पर बुलाना राज्य का कर्तव्य है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक न बुलाने के तथ्य को राज्य द्वारा स्वीकार किया गया है।

39. इसके अलावा विद्वान राज्य अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाने का कोई ठोस कारण नहीं है।

40. हमने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश पारित किया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक क्यों नहीं आयोजित की गई, जबकि हलफनामा दायर किया गया है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

41. यह हलफनामा दिनांक **16.05.2023** के आदेश के अनुसरण में दायर किया गया है, जिसके तहत रिक्तियों की स्थिति को भी रिकॉर्ड में लाया गया है, जिससे यह

स्पष्ट है कि जिस दिन रिट याचिकाकर्ता पात्र हुआ, (अर्थात **01.01.2020** को) **07** रिक्तियां उपलब्ध थीं।

इस प्रकार, रिक्तियां पहले से ही उपलब्ध थीं लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

42. यहां प्रश्न यह है कि यदि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने तथा रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है।

इसके अलावा रिट याचिकाकर्ता पात्र हो गया है तो फिर रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार क्यों नहीं किया गया, जबकि वह मुख्य वन संरक्षक के पद के लिए सभी मापदंडों पर पात्र पाया गया है।

43. इसमें आगे प्रश्न यह है कि जब राज्य विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है तो क्या सेवा के सदस्य को यह तर्क देकर पदोन्नति के लाभ से वंचित किया जा सकता है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक तब से नहीं बुलाई गई है और जिस दिन उक्त बैठक बुलाई गई थी, उस समय तक रिट याचिकाकर्ता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है।

44. जहां तक राज्य के इस आधार का संबंध है, इस न्यायालय का यह मत है कि यदि राज्य को दिनांक **10.04.1989** के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का बाध्य कर्तव्य प्राप्त है और यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई जा रही है, तो लापरवाही राज्य की ओर से है और यदि लापरवाही राज्य की ओर से है, तो सेवा के सदस्यों को क्यों कष्ट दिया जाए।

45. कानून की स्थिति यह है कि गलत काम करने वाले को अपने गलत काम का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कुशेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** (2007) 11 **एससीसी 447** में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जिसमें पैरा 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मृत्युंजय पाणि बनाम नर्मदा बाला सस्मल**

एआईआर 1961 एससी 1353 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए यह निर्धारित किया गया है कि किसी पक्ष पर दायित्व डाला जाता है और वह ऐसे दायित्व का उल्लंघन करता है, तो उसे ऐसी स्थिति का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह लैटिन कहावत कॉमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हैबेरे डेबेट (कोई भी पक्ष अपने गलत काम का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता) पर आधारित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय में भी उक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई है, जैसा कि **(2018) 2 एससीसी 412** में रिपोर्ट किया गया है, जैसा कि पैरा 143 और 167 से स्पष्ट होगा, **मृत्युंजय पाणि बनाम नर्मदा बाला सस्मल** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए, इसमें संदर्भित किया गया है कि कोई भी वादी अपने द्वारा किए गए गलत कार्य के लाभ से वंचित नहीं हो सकता है। सिद्धांत कॉमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हैबरे डेबेट का अर्थ है कि किसी पक्ष को उसके अपने गलत कार्य से सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है।

46. इस न्यायालय ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाकर राज्य को गलत काम करने वाला माना है और यदि राज्य को यह आधार स्वीकार करके लाभ दिया जाता है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जा चुकी है और इसे रिट याचिकाकर्ता के पदोन्नति के दावे को अस्वीकार करने का आधार माना गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्य को लाभ मिलेगा और सेवा के सदस्य उच्च पद पर पदोन्नति के विचार के लिए अपने वैध दावे से वंचित हो जाएंगे।

मामला अलग होता यदि रिट याचिकाकर्ता के योग्य होने पर रिक्तियां उपलब्ध नहीं होतीं तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का सवाल ही नहीं उठता।

लेकिन राज्य का यह स्वीकार किया गया मामला है कि जिस दिन रिट याचिकाकर्ता ने पात्रता प्राप्त की, यानी 01.01.2020 को कुल 07 रिक्तियां थीं और रिट याचिकाकर्ता 30.09.2020 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है।

इस प्रकार, दिनांक 01.01.2020 तक रिक्तियां उपलब्ध थीं, लेकिन 30.09.2020 तक की अवधि के दौरान भी, जब रिट याचिकाकर्ता सेवा में था, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है।

यदि राज्य को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाकर ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो इससे उत्पीड़न होगा और इसे राज्य की ओर से मनमानी कार्रवाई कहा जाएगा क्योंकि इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई, जबकि उस दिन रिक्तियां उपलब्ध थीं।

47. यद्यपि रिट याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी और पूरी बैठक में रिट याचिकाकर्ता से वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था और इसलिए यह दलील दी गई है कि किसी भी कनिष्ठ को पदोन्नति नहीं दी गई है।

48. हम इस आधार पर सहमत नहीं हैं कि रिट याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने पर विचार करने का प्रश्न आड़े नहीं आएगा, क्योंकि नियम 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर मुख्य वन संरक्षक के पद पर विचार करने के लिए विशिष्ट है और जिस क्षण रिट याचिकाकर्ता ने 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वह मुख्य वन संरक्षक के पद पर विचार करने के लिए हकदार हो गया है, जिस पर वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था, क्योंकि रिक्तियां 07 थीं, लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाए जाने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया।

49. विद्वान न्यायाधिकरण ने उक्त दावे को अस्वीकार कर दिया है, न कि उस पर निर्णय देते हुए रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए हैं, केवल इस आधार पर कि रिट याचिकाकर्ता उपलब्ध रिक्तियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है और उन कनिष्ठ अधिकारियों का संदर्भ नहीं दिया गया है जिन्हें पदोन्नति प्रदान की गई है।

50. रिक्तियों की उपलब्धता का प्रश्न, जैसा कि हम पहले ही ऊपर विचार कर चुके हैं, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस प्रकार न्यायाधिकरण का यह कर्तव्य था कि वह मामले को राज्य प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ भेजे या रिक्तियों की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट मांगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय रिट याचिकाकर्ता के दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि रिट याचिकाकर्ता उपलब्ध रिक्तियों का विवरण देने में विफल रहा।

51. जहां तक किसी कनिष्ठ को पदोन्नति प्रदान किए जाने के संदर्भ का प्रश्न है, हम पहले ही इस पर विचार कर चुके हैं कि यह कनिष्ठ को पदोन्नति प्रदान करने का मामला नहीं है, क्योंकि यह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का मामला नहीं है, बल्कि मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति का मामला भर्ती नियमों में दिए गए मानदंडों की पात्रता पर आधारित है, जिसके अनुसार सेवा के सदस्य 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के तुरंत बाद मुख्य वन संरक्षक के पद पर आसीन होने के हकदार माने जाएंगे, जिसका अर्थ है कि यदि सेवा के किसी सदस्य ने 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो वह विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष एक या अन्य के मामले को रखकर विचार के लिए हकदार हो जाता है, क्योंकि डीपीसी स्वयं नहीं बुलाई गई है, जिसे रिट याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के आधार के रूप में लिया गया है, जिसे राज्य द्वारा उचित स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है।

52. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **बैज नाथ शर्मा बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं अन्य** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया है, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय की निन्दा की गई है।

53. कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निर्णय की प्रयोज्यता प्रत्येक मामले को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने वाले तथ्यों पर आधारित है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, (2014) 5 एससीसी 75,** पैराग्राफ 47 में कहा है, जिसका अर्थ है:

> **"47.** यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि किसी भी निर्णय के अनुपात को उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए और मामला केवल इस बात का अधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है, न कि यह कि इससे क्या तार्किक रूप से निकलता है। "न्यायालय को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति उस निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति के साथ कैसे फिट बैठती है जिस पर भरोसा किया जाता है।"

54. इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि **बैज नाथ शर्मा बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं अन्य** (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू होता है या नहीं, इस मामले के तथ्यात्मक पहलू पर विचार किया है।

इस न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलू से पाया है कि उक्त मामला सेवानिवृत्त व्यक्ति के दावे के संबंध में था, जिसने रिक्तियों के सृजन के आधार पर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पदोन्नति का दावा किया था और इसके सृजन की तारीख से।

55. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश की निंदा की है कि एक बार जब कोई कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसके बाद उसके द्वारा सृजित रिक्तियों के आधार पर उसका कोई दावा नहीं होगा, भले ही वे रिक्तियां किसी विशेष उद्देश्य के लिए हों।

लेकिन यहां यह मामला नहीं है कि जिस दिन रिट याचिकाकर्ता पात्र हुआ उस दिन रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं, बल्कि रिट याचिकाकर्ता का यह स्वीकार किया गया मामला है कि 01.01.2020 को 08 रिक्तियां उपलब्ध थीं और तब भी रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया।

इस प्रकार, यह ऐसा मामला है जहां रिक्तियां तो थीं लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाकर राज्य सरकार की लापरवाही के कारण रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया।

56. मामला कुछ और होता यदि रिट याचिकाकर्ता के सेवा में रहते हुए कोई रिक्ति नहीं होती, तो निश्चित रूप से **बैज नाथ शर्मा बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं अन्य (**सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लागू माना जाता, लेकिन यहां तथ्य यह नहीं है।

57. यह न्यायालय, उपर्युक्त चर्चा के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता में, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस सुविचारित दृष्टिकोण पर है कि ओ.ए. संख्या 379/2020 में पारित दिनांक 14.02.2022 के आदेश और समीक्षा आवेदन संख्या आरए/04/2022 में पारित दिनांक 24.03.2022 के आदेश का वह भाग, जिसके तहत मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के अनुदान पर विचार करने के लिए रिट याचिकाकर्ता का दावा संबंधित है, कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

58. तदनुसार, आदेश का उपरोक्त भाग निरस्त एवं रद्द किया जाता है।

59. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

60. इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को वापस भेजना उचित नहीं समझा है, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता वर्ष **2020** में ही सेवानिवृत्त हो चुका है और तब से तीन वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए राज्य को उचित निर्देश देते हुए मामले का निपटारा करना उचित और उचित समझता है।

61. तदनुसार, प्रतिवादी-राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए रिट याचिकाकर्ता के मामले पर भर्ती/पदोन्नति के नियमों के अनुसार और कानून के अनुसार इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेकर विचार करे।

62. यदि कोई लंबित अंतरिम आवेदन है तो उसका भी निपटारा हो गया है।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक: 30/01/2024
Saurabh /A.F.R.

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।